केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 05.06.2017

सी.बी.आई. ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को 48 करोड़ रु. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के प्रोत्साहक/ निदेशक तथा अन्यों के विरुद्ध मामला दर्ज किया

सी.बी.आई. ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को 48 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने की शिकायत पर दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के दो प्रोत्साहक/ निदेशकों उक्त प्राइवेट कम्पनी ; नई दिल्ली की अन्य टी.वी. कम्पनी ; अज्ञात कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी एवं 420 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया ।

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में ऐसा आरोप था कि दिल्ली की उक्त प्राइवेट कम्पनी ने नई दिल्ली की एक अन्य टी.वी. कम्पनी की 20% अंशधारिता जनमानस से खरीदने के लिए प्राइवेट फाइनेन्स कम्पनी से लगीभग 500 करोड़ रू. का ऋण लिया। वर्तमान ऋण अदायगी के लिए, दिल्ली की उक्त प्राइवेट कम्पनी ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से 19% प्रति वर्ष की दर से 375 करोड़ रू. (लगभग) का ऋण लिया (जिसमें से 350 करोड़ रू. चुका दिया)। वर्तमान ऋण के लिए नई दिल्ली की टी.वी. कम्पनी के प्रोत्साहकों ने इस टी.वी. कम्पनी के प्रोत्साहकों की समस्त अंशधारिता को समानान्तर रूप से आई.सी.आई.सी.आई. के पास गिरवी रखा। अंशधारिताओं गिरवी रखने की सूचना एस.ई.बी.आई. (सेबी), स्टॉक एक्सचेन्जों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से छुपाई गई।

ऐसा आरोप था कि इस तरह के छिपाव, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के उल्लंघन में वोटिंग कैपिटल के 61% से भी अधिक की समानान्तर प्रत्याभूत बनाने के तौर पर किया गया। (यह अंशधारिता पूंजी के 30% से ज्यादा नही होना चाहिए। यह ऋण आर.बी.आई. मास्टर सर्कुलर, दिनांक 28.08.1998 के उल्लंघन में कथित रूप से मंजूर किया गया था। आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा कथित रूप से लगभग 10% की छूट ब्याज में दी गई। आई.सी.आई.सी.आई. को 48 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि एवं इसके परिणाम स्वरूप उक्त दिल्ली की प्राइवेट कम्पनी ने अनुचित लाभ प्राप्त किया। ऐसा भी आरोप था कि बैंक ने सम्पूर्ण ऋण राशि की वसूली पर जोर नही दिया जबकि प्रोत्साहकों के पास पर्याप्त धन के स्रोत थे।

दिल्ली, देहरादून एवं मसूरी सहित चार स्थानों पर आज तलाशी की गई जिसमें मामले से सम्बन्धित दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जांच जारी है ।

****